(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 1474/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.02.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 266/अपील/2014-15.

श्री लीलाधर आ. श्री गिंदू
निवासी ग्राम खरार, तहसील डोलरिया
जिला होशंगाबाद, ...आवेदक

विरूद्ध

श्री राजेन्द्र आ. श्री प्रभुदयाल
निवासी ग्राम आंवरी, तहसील डोलरिया
जिला होशंगाबाद, ...अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 02.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, डोलरिया के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खरार स्थित भूमि ख.नं. 393 रकबा 1.356 हैक्टेयर जो उसके नाम पर दर्ज है, का सीमांकन दिनांक 02.11.2010 को

राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा किया गया था। सीमांकन कार्यवाही में आवेदक के खाते की भूमि ख.नं. 393 रकबा 1356 हैक्टेयर भूमि के रकबा 0006 हैक्टेयर भूमि पर आवेदक लीलाधर का कब्जा पाया गया था, अनावेदक द्वारा सीमांकन के आधार पर कब्जा दिलाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ-70/10-11 दर्ज कर आदेश दिनांक 31.05.2012 को आवेदन निरस्त कर दिया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 08.05.2015 को आदेश पारित किया कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य पाने का अधिकारी है, फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर से आवेदक का आधिपत्य हटाया जाकर अनावेदक को आधिपत्य दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 02.02.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय से तथा विचारण न्यायालय से कभी भी आवेदक को कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन नहीं किया है। यदि अभिलेख का अवलोकन किया जाता तब वह पाते कि वास्तव में आवेदक पर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के समन व कारण बताओ सूचना पत्र की कोई तामीली नहीं की गई है। इसलिए पारित आदेश विधिसंगत न होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) प्रथम अपील न्यायालय को यह देखना था कि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 31.05.2012 विधिसम्मत आदेश है एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता नहीं है। उक्त तथ्य को ध्यान दिये बिना पारित आदेश दिनांक 08.05.2015

एवं 02.02.2017 पारित करने की भूल की है। इसलिए पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि आवेदक को सीमांकन कार्यवाही तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी की कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी तथा सीमांकन व कार्यवाही आवेदक की अनुपस्थिति में की गई है। यह देखते हुए तहसीलदार द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया था, किंतु प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों को देखे बगैर विधि से दूषित आदेश पारित करने की भूल की है। इसलिए पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) प्रथम अपीलीय न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि सीमांकन कार्यवाही में केवल आवेदक को सूचना देने का उल्लेख है, किंतु सूचना पत्र पर किसी शोभा नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, जिस पर लीलाधर एवं ओमप्रकाश के हस्ताक्षर भी नहीं हैं, उन्हें विधिवत सूचना प्राप्त नहीं हुई है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष के बाद भी प्रथम एवं द्वितीय अपील स्वीकार करने की गंभीर भूल की है। उक्त स्थिति में दोनों अपीलीय न्यायालय के आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

(5) प्रकरण में ग्राम कोटवार एवं संतोष साक्षी के शपथ पत्र पेश किये गये हैं, जिसमें भी यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की है, किन्तु उक्त तथ्य को देखे बगैर पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

(6) दोनों अपीलीय न्यायालयों ने सीमांकन नियमों को समझे बगैर विधि विपरीत आदेश पारित किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि सीमांकन त्रुटि को धारा 250 की कार्यवाही के अंतर्गत देखा जाना चाहिए, यानी की सीमांकन की शुद्धता की जांच कर ही धारा 250 के अंतर्गत आदेश पारित किया जाता है। उक्त स्थिति में भी पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि राजस्व निरीक्षक ने संबंधित को सूचना पत्र नहीं दिये तथा पंचनामे पर पंचों के हस्ताक्षर नहीं है। इस तरह किया गया सीमांकन धारा 124, 129 के अंतर्गत विधि से दूषित है। उक्त दूषित कार्यवाही के आधार पर आवेदक को बेकब्जा नहीं किया जा सकता है। इसलिए भी दोनों अपीलीय न्यायालय के आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं।

(8) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि आवेदक के स्वामित्व के रकबे पर आवेदक अनेक वर्षों से काबिज है तथा आवेदक एवं अनावेदक की भूमि के मध्य ग्राम खरार का मेढ़ा स्थित है, जिस पर आवेदक का कोई अतिक्रमण होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। सीमांकन कार्यवाही में जो भूमि पर अतिक्रमण बताया गया है, वह भूमि आवेदक की है, जिस पर अनावेदक का कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा कथित सीमांकन में दर्शाया गया स्थल पर ग्राम मेढ़ा है, उक्त स्थिति में भी दोनों अपीलीय न्यायालय के आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2012 को स्थिर रखा जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2017 निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 02.11.2010 को वादग्रस्त भूमि का सीमांकन ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया था तथा तहसील न्यायालय में वादग्रस्त भूमि में विवादित कब्जे के विरूद्ध प्रकरण दिनांक 05.07.2011 को प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जानकारी आवेदक को है। उल्लेखित सीमांकन की वैधानिकता को आवेदक द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी गई है। इसलिए उक्त सीमांकन मान्य योग्य है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है। आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर